न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2023 बउनवानी जितेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी माहीदास बालीजी के पीछें दशहरा मैदान वार्ड नम्बर,40 गंगापुर सिटी

GCMS No-2023/70 **ON Line Appeal No. 321829486015845**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
31.7.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 6. प्रार्थी की कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदौन्नति जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 15.02.2022 द्वारा की गयी थी उसके पश्चात प्रार्थी का पदस्थापन तहसील बौंली मे रखते हुए प्रतिनियुक्ति जिला कलेक्टर कार्यालय में की जाकर प्रार्थी की सेवा पुस्तिका जिला कार्यालय के पत्रांक स्थापना/22/2050 दिनांक 26.4.2022 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तहसील बौंली भिजवायी गयी है प्रार्थी की उक्त सेवा पुस्तिका के सभी पृष्ठो की प्रमाणित छायाप्रति दिलवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के जवाब नोटिस क्रमांक/पंजीयन/2023/ 886 दिनांक 31.7.2023 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (अपीलान्ट श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता सेवा पुस्तिका) कही गुम हो गया है जिसके संबंध में कार्यालय तहसील बौंली के समस्त कार्मिको द्वारा अनेक बार रिकार्ड खोजा गया एवं कार्यालय की समस्त शाखाओं से उक्त सेवा अभिलेख नही होने बाबत अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लिया जाकर जिला कार्यालय को तहसील कार्यालय बौंली के पत्रांक स्था./2023/61 दिनांक 12.7.2023 से डुप्लिकेट सेवा अभिलेख बनवाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। डुप्लिकेट सेवा अभिलेख बनने पर ही उक्त सूचना उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.5.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना से संबंधित रिकार्ड (अपीलान्ट श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता सेवा पुस्तिका) कही गुम हो गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि 1 माह में अपीलान्ट की डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका तैयार करवायी जाकर अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवायी जावे एवं मूल रिकार्ड गुम करने वाले कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:39:56 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner